

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1225]

नई दिल्ली, मंगलवार मई 28, 2013/ वैशाख 7, 1935

No. 1225]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2013/VAISAKHA 7, 1935

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2013

का.आ.1381(अ).—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा श्रीमती कुशल सिंह, मकान नं. 226, सेक्टर 15 ए नोएडा (उत्तर प्रदेश) को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का अध्यक्ष मनोनीत करती हैं। श्रीमती कुशल सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस पद पर कार्यरत रहेंगी।

[फा.सं. 3-1/2013-सीडब्ल्यू-1]]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2013

S.O. 1381 (E).— In pursuance of Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Government of India hereby nominates - Mrs. Kushal Singh, House No. 226, Sector-15A, NOIDA (Uttar Pradesh) as the Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi. Mrs. Kushal Singh shall hold office with effect from the date of taking over of charge upto 10th October, 2014 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3-1/2013-CW-I]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.